रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16012020-215488
CG-DL-E-16012020-215488

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 15, 2020/पौष 25, 1941
No. 201] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 15, 2020/PAUSHA 25, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

(राजस्व आसूचना निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2020

सं. 4/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/एक्सटैन्शन/राआनि)

का.आ. 211(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 28(9) के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, तालिका के स्तम्भ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिस के न्याय निर्णयन के प्रयोजनार्थ, जिनके लिए यथा उल्लेखित तालिका के स्तम्भ (4) में उल्लेखित समान न्याय निर्णयन प्राधिकारी पहले ही नियुक्त हो चुका है, तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में शुल्क अथवा ब्याज निर्धारण के प्रयोजनार्थ, एतद द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 की उप धारा (8) के तहत समायावधि प्रारम्भिक कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.08.2019 की समाप्ति से आगे छह महीने की अवधि के लिए बढ़ाते हैं:-

तालिका

क्र. सं.	नोटिसियों का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक (सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28(9)(a) के अंतर्गत)	समान न्याय निर्णयन प्राधिकारी नियुक्त करने वाली अधिसूचना सं. और दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मै: हाइपैड टेकनोलोजी इंडिया प्रा. लि., नोएडा, प्लॉट सं. 154C, ब्लॉक A, सेक्टर-63, नोएडा	फ़ा. सं. DRI/BZU/S-IV/Enq-36/Int-Nil/2018 दिनांक 01.08.2019 (एससीएन सं. 41/2019)	अधिसूचना सं. 39/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 29.08.2019

[फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-1/2020-**CI**]

जसप्रीत सिंह सुखीजा, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

(Directorate of Revenue Intelligence)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2020

No. 4/2020-Customs (N.T./CAA/EXTENSION/DRI)

S.O. 211(E).—In exercise of powers conferred upon by first proviso to section 28(9) of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Director General, Revenue Intelligence, hereby extends the period for purpose of determination of duty or interest under sub-section (8) of section 28 of the Customs Act, 1962, by a further period of six months with effect from the expiry of the period of the initial SCN dated 01.08.2019 in respect of the noticee mentioned in column (2) of the Table for the purpose of adjudication in respect of show cause notice mentioned in column (3) of the Table for which Common Adjudicating Authority stands appointed, as mentioned in column (4) of the Table below, namely:

TABLE

Sl. No.	Name of Noticee (s) and Address	Show Cause Notice Number and Date (falling under section 28(9)(a) of the Customs Act, 1962)	Notification number and Date appointing Common Adjudicating Authority
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	M/s Hipad Technology India Pvt. Ltd., Noida, Plot No. 154C, Block A, Sector-63, Noida	F. No. DRI/BZU/S-IV/Enq-36/Int-Nil/2018 dated 01.08.2019 (SCN No. 41/2019)	Notification No. 39/2019-Customs (NT/CAA/DRI) dated 29.08.2019.

[F. No. DRI/HQ-CI/50D/CAA-1/2020-CI]

JASPREET SINGH SUKHIJA, Jt. Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.01.16 22:13:18 +05'30'